POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, पी.एस.ओ., आरएमएस गांधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोश लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने पूरा विश्व 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। विश्व स्तर के उपभोक्ता संगठन इस दिन उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके अधिकारों की पैरवी करते हैं।

उपभोक्ता कानून को बने 31 साल से भी ज्यादा समय हो गया। इतना समय बीतने के बावजूद हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव के चलते ज्यादातर शिकायतें उपभोक्ता अदालतों तक नहीं पहुंच पातीं, जबकि उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने के मामले शहरों की अपेक्षा गांवों में कई गुना ज्यादा होते हैं।

हमारे ग्रामीण भाई इससे परिचित हैं कि वर्ष 1983 से ही 'कट्स' जमीनी स्तर से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके मुद्दों की पैरवी करने में सदा सहायक रहा है। राजस्थान में तो 1000 से भी ज्यादा उपभोक्ता संस्थाएं लम्बे समय से 'कट्स' से जुड़ी हुई हैं और गांवों में जमीनी स्तर पर उपभोक्ता हित में कार्य कर रही हैं।

पिछले दिनों अक्टूबर में आयोजित एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जानकारी दी कि सरकार उपभोक्ता को ताकतवर बनाने के लिए मौजूदा उपभोक्ता कानून को और मजबूत बनाने जा रही है। उन्होंने कहा, सरकार के लिए उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि वंचित वर्गों तक मुफ्त एलपीजी एवं अन्य सुविधाएं पहुंचाना।

मैं स्वयं भी इस सम्मेलन में मौजूद था और प्रधानमंत्री का यह कहना मुझे अच्छा लगा क्योंकि 'कट्स' में हम काफी लम्बे समय से इन्हीं विषयों पर काम कर रहे हैं। नए कानून में बनने वाला 'उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' इन्हीं विषयागत समस्याओं के निवारण में काम करेगा, जो पूर्व में एमआरटीपी एक्ट के अन्तर्गत थे। लेकिन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को इससे बाहर रखा गया है। जबकि अधिकांश प्रतिस्पर्धा अधिकरण इकाइयां और उपभोक्ता संरक्षण दोनों को विषयागत रखती हैं। लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ऐसा नहीं है। यह बात मैंने सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए कही।

मेरे चिंतन का विषय यह भी रहा कि भारतीय प्रशासनिक बंधुओं ने अपने सेवानिवृत्त साथियों की फिर से नियुक्ति के लिए एक नया स्थान चुन लिया है। यदि ऐसा हुआ तो 'उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' को निष्प्रभावी करने के लिए काफी होगा। अधिकारियों का एक अन्य महत्वपूर्ण दावा यह भी है कि, उपभोक्ता कानून के तहत क्लास एक्शन सूट को अधिक मुखर किया गया है। 'कट्स' द्वारा पूर्व में बैंक ऑफ बड़ौदा हड़ताल, बेंहाला तेल मिलावट त्रासदी इत्यादि में ऐसा किया गया है।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2017

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 36 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2017 का विषय जिस पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए किस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2017 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2018 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी -217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

नहीं मिल रहा राशन

ज्यादातर राशन वितरण केन्द्रों पर पोश मशीनें खराब हैं या काम नहीं कर रही हैं। राशन वितरक 'मशीन खराब है' का बहाना बना कर लोगों को बिना राशन दिए वापस घर लौटा रहे हैं। इस तरह वह वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर गलत काम करते हैं।

डीलर पूरे पखवाड़े में दुकानें नहीं खोलते और शातों-शत माल गायब कर राशन उपभोक्ताओं को टालमटोल कर चक्कर लगवाते रहते हैं। कृपया रसद अधिकारी इसकी जांच कर समाधान कराएं।

- लीलाधर लढ्ढा
बोशना पं.स.रायपुर, भीलवाड़ा

काम सरकार करेगी, आप बैठे रहेंगे...

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कहना है कि सब काम सरकार करेगी और आप बैठे रहेंगे, अब ये नहीं चलेगा। आपको भी देश के विकास के लिए आगे आना होगा। सरकारी योजनाओं में आपको भी भागीदारी निभानी चाहिए।

उन्होंने महिला आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि लोग शिकायत करते हैं कि पंचायत चुनावों में महिलाएं सरपंच बन जाती है, उनके काम उनके पति करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें महिला पंच-सरपंचों के काम में दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। उन्हें हमें शिक्षित कर गांव के विकास में भागीदार बनाना होगा।

मनरेगा में मिलेगा 50 दिन ज्यादा रोजगार

प्रदेश के 4151 गांव अकाल की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार ने इन सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। सरकार ने इन गांवों में भू-राजस्व वसूली (लगान) को स्थगित कर दिया है।

मनरेगा के तहत प्रदेश के अभावग्रस्त घोषित गांवों में सरकार 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने अभावग्रस्त गांवों में 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने की अनुमति प्रदान की है। इन गांवों में योजना के तहत 100 के बजाय 150 दिनों का रोजगार दिया जाएगा।

गोदामों के निर्माण में सुस्ती

सहकारिता विभाग ने वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट में 100 नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम व कार्यालय निर्माण के लिए गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, लेकिन ज्यादातर समितियों में काम ही शुरु नहीं हुआ। जबकि इसके लिए प्रति समिति दस लाख रुपए यानी कुल दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

इस सुस्त चाल को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जनवरी तक इसे पूरा करने के निर्देश भी दिए, लेकिन ज्यादातर समितियों ने अभी भी काम शुरू नहीं किया है।

प्रदेश में है सर्वाधिक दूषित पेयजल

केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार देश में सर्वाधिक दूषित पेयजल में राजस्थान पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत केन्द्र ने पिछले चार साल में राज्य को 3166.15 करोड़ रुपए पेयजल व्यवस्था के लिए आंवटित किया, जिसमें से शुद्ध पेयजल पर 2947 रुपए खर्च हो चुके हैं।

केन्द्र ने पाइप लाइन आधारित पेयजल सप्लाई की सलाह दी है। प्रदेश में अभी भी करीब 19 हजार 893 बसावट में रहने वाले लोगों को पूरी तरह शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है।

उद्योगों में बढ़े महिलाओं की भागीदारी

केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महिलाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं को हाशिये से निकालकर विकास में भागीदार बनाना चाहते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत अब तक करीब नौ करोड़ से भी ज्यादा को ऋण दिया गया है, जिसमें 70 फीसदी ऋण महिलाओं को दिया है। ऋण के वापस चुकाने में भी महिलाएं आगे हैं। वर्तमान में उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14 फीसदी है। इसे बढ़ाकर कम से कम 40 फीसदी तक लाना होगा।

अब समय पर खर्च होगा एमएलए फंड

ग्रामीण इलाकों में विधायक स्थानीय विकास योजना का पैसा समय पर खर्च नहीं होने पर राज्य सरकार ने नाराजगी जताई है। यह राशि खर्च करने के लिए अब सरकार ने जिला परिषदों को समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर उस पर सख्ती से पालना करने को कहा है।

विधायक फंड से जारी विकास कार्यों पर योजना के तहत अधिकतम पांच दिन में प्रशासनिक स्वीकृति एवं अधिक से अधिक 18 दिन में तकनीकी स्वीकृति जारी करना अनिवार्य होगा। इसके बाद सात दिन में वित्तीय स्वीकृति जारी करना आवश्यक है ताकि समय पर काम पूरा हो सके।

उत्पादन में यदि नुकसान हुआ तो मुआवजा मांगे!

पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के स्थान पर नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लोकसभा में पेश किया गया है। इसके बजट सत्र के दौरान पारित होने की संभावना है। पुराने कानून के दायरे में जो विषय बाहर थे, उन्हें नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 में शामिल किया गया है। नये विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का भी प्रावधान है। इसका मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण कर उन्हें ज्यादा सशक्त बनाना है।

यह जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि नए विधेयक के अनुसार निर्माता, सेवा प्रदाता की जवाबदेही सभी उपभोक्ताओं के प्रति होगी ना कि केवल एक उपभोक्ता तक सीमित रहेगी। इसमें विवादों को समय पर निपटाने का भी प्रावधान है। नए विधेयक में अब भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। विधेयक के मुताबिक खराब क्वालिटी और नकली सामान बेचने के लिए उत्पादक को दोषी माना जाएगा।

खाद्य सामग्री में मिलावट को गंभीर मानते हुए मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अनुचित व्यापार पर केन्द्र सरकार पूरी नजर रखेगी। विधेयक में इसके लिए खास प्रावधान भी किए गए हैं। उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों से मुक्ति मिलेगी। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन दाताओं और उसका प्रचार-प्रसार करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान नए विधेयक में शामिल है।

लापरवाही से मौत, गोयल हॉस्पिटल जोधपुर को देना होगा हर्जाना

राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच जोधपुर ने हार्ट ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में गोयल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जोधपुर के डायरेक्टर व एमडी डॉ. आनंद गोयल सहित अन्य पर 47 लाख 35 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह हर्जाना राशि परिवाद दायर होने की तारीख 31 मई 2007 से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें। आयोग ने यह आदेश हरिहर रजक व अन्य द्वारा दायर परिवाद पर दिया।

मामले के अनुसार हरिहर रजक के बेटे एस.के.रजक को उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसके हृदय के ऑपरेशन के दौरान बरती गई लापरवाही के चलते एक जून 2005 को देहांत हो गया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एस.के रजक की मौत एक जून 2005 को हुई थी जबकि उसकी डेथ समरी रिपोर्ट 30 जून 2005 को बनाई गई है। ऐसे में जब मृत्यु प्रमाण-पत्र दे दिया था और उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखा गया तो फिर डेथ समरी रिपोर्ट भी उसी समय तत्काल बनाई जाकर परिजनों को दी जानी चाहिए थी। लेकिन यह रिपोर्ट कई बार मांगने पर दी गई जो अस्पताल और डॉक्टर्स पर संदेह पैदा करती है।

एलईडी से जगमग होंगे गांव

स्मार्ट विलेज के लिए चयनित गांवों में सरकार ने इस बार सोलर लाइट के बजाय एलईडी लाइटें लगाने का फैसला लिया है। स्मार्ट गांव बनाने की बजट घोषणा में सरकार ने तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को चयनित किया है। इसमें प्रदेश के 3275 गांव आएंगे।

इनमें से प्रत्येक गांव में सौ से सवा सौ लाइटों की खरीद की जानी है। ऐसे में पंचायतें करीब साढ़े तीन से चार लाख स्ट्रीट लाइटें खरीदेगी। तीन साल पहले पंचायतों में सोलर लाइट खरीद में काफी अनियमितताएं सामने आई थी, मद्देनजर इस बार सरकार इस योजना में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित। 'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485